मध्यप्रदेश बजट पर एक नज़र

2018-19

मध्यप्रदेश के राज्य बजट पर यह त्वरित विश्लेषण विकास संवाद और संकेत द्वारा किया गया है.

विकास संवाद एवं संकेत

मसला केवल आवंटन की विसंगति का नहीं, सोच और नियत का है!

मध्यप्रदेश सरकार - 1.870 लाख करोड़ का बजट, 1.875 लाख करोड़ का कर्जा

क़र्ज़ - कर्जे में डूबते जाना विकास की परिभाषा का मुख्य मानक बन गया है. वर्ष 2018-19 के मध्यप्रदेश के बजट में सरकार का कुल वास्तविक व्यय 1.87 लाख करोड़ रूपए होने वाला है. राज्य सरकार इसमें से 25342 करोड़ रूपए का व्यय केवल क़र्ज़ का ब्याज चुकाने में करने वाली है. किसी एक मद पर होने वाला यह सबसे बड़ा व्यय है. वर्ष 2018-19 के बजट के अनुमानों के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार पर कुल क़र्ज़ 1.875 लाख करोड़ रूपए है.

प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन 25500 रूपए का कर्जा है. इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का कुल बजट और क़र्ज़ की राशि बराबर हो गई है. वर्ष 2010-11 की स्थिति में राज्य सरकार पर 69259 करोड़ रूपए का क़र्ज़ था, यानी 9 सालों में क़र्ज़ में लगभग तीन गुना की वृद्धि हो चुकी है. यह जान लेना जरूरी है कि नए कर्जे की राशि को जोड़कर सरकार ने इस साल अपना बजाय 2.04 लाख करोड़ रूपए बताया है.

मध्यप्रदेश सरकार पर क़र्ज़ की स्थिति - करोड़ रूपए में					
	2015-वास्तविक	2016-वास्तविक	2017-वास्तविक	2018 – पुनरीक्षित अनुमान	2019-बजट अनुमान
बाज़ार से क़र्ज़	43149.92	56140.65	70691.64	88491.64	107696.6
भारत सरकार से क़र्ज़	13253.83	13668.01	13917.1	15340	18100.19
कुल क़र्ज़	94979.16	111101.1	136804.5	160871.9	187636.4

इस साल सरकार व्यवस्था को चलाने के लिए लगभग 12500 करोड़ रूपए का क़र्ज़ चुकायेगी, किन्तु 37840 करोड़ रूपए का नया कर्जा भी लेगी. यह एक गंभीर संकेत है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों (2016 और 2017) में मध्यप्रदेश सरकार ने ब्याज चुकाने में ही 47564 करोड़ रूपए खर्च किये हैं. बहरहाल सरकार हमेशा कहती है कि कर्जे लेने में कोई बुराई नहीं है, जब हम विकास करते हैं, तब क़र्ज़ तो लेना ही पड़ता है. जब सरकार यह मानने को ही तैयार नहीं है कि सही समतामूलक और समावेशी विकास के सिद्धांत में विश्वास रखकर हमें अपनी विकास की मौजूदा परिभाषा ही बदलने की जरूरत है ताकि हम क़र्ज़ के जाल ने निकल सकें. सरकार को बुरा नहीं लगता होगा, किन्तु समाज को अन्यायपूर्ण करों के बोझ तले दब कर मारना दुःख देता है.

सरकार को क़र्ज़ आनंद देता है, उन्हें क़र्ज़ में कोई समस्या नज़र नहीं आती है, क्योंकि उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों पर 25 प्रतिशत कर लगाने में कोई संकोच नहीं होता है. जब महिलायें और समाज शराब की दुकानें बंद करने की मांग करते है, तब सरकार यही कहती है कि राजस्व कहाँ से आएगा! उन्हें इस तरह के विकास पर आनंद करना छोड़ना चाहिए, ताकि विकास के लिए शराब बेंचने की जरूरत का दुर्भाग्यपूर्ण तर्क उन्हें न देना पड़े.

क्या वास्तव में हमारा बजट किसी प्लानिंग और लक्ष्य के आधार पर बनता है?

स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, सिंचाई सरीखे क्षेत्रों में सरकार ने बजट आवंटित करके बाद में उनके बजट में 10 से 25 प्रतिशत तक की कटौती की है. जब बजट बनाया जाता है, तब उसके साथ एक लक्ष्य आधारित नीति और एक नजरिया होता है. मसलन यदि हम राज्य में बाल मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहते हैं, तो सरकार अपने संसाधनों का निवेश इसी सोच के आधार पर करेगी. इसी तरह जलवायु परिवर्तन और सूखे-बाढ़ की मार झेल रहे प्रदेश को ऐसी नीतियां देगी, जिनसे इस तरह के प्रकृति संकट से जूझा जा सके. सरकार फ़रवरी-मार्च के महीनों में सरकार बजट आवंटन के भीमकाय दावे तो कर देती है, किन्तु वित्तीय वर्ष के बीच में पुनरीक्षित बजट में उन आवंटनों की धज्जियाँ भी उड़ा देती है. उन्हें पता है कि कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा में समाज की जरूरतों को देखते हुए ज्यादा बजट की जरूरत होती है. वर्ष के शुरू में तो बजट आवंटित कर दिया जाता है, पर बीच वर्ष में उसमें भारी तब्दीली कर दी जाती है.

स्वास्थ्य - वर्ष 2016-17 में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 7153.14 करोड़ रूपए का आवंटन किया था. इसमें से कुल 5940 करोड़ रूपए ही खर्च करने दिए गए. एक साल में स्वास्थ्य पर 1213 करोड़ रूपए खर्च ही नहीं किये गए. इसके अगले साल भी 546 करोड़ रूपए

खर्च नहीं किये गए. अब 2018-19 के लिए 8385 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. लोग खुश हैं; पर सरकार को पता है कि 4-5 महीने बाद वे इसमें से 20 प्रतिशत वापस ले लेने वाले हैं और डाक्टरों के 3000 पद खाली बने रहेंगे.

अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग - सबसे वंचित तबके हमारी विसंगतिपूर्ण वित्तीय नियोजन तकनीक के निशाने पर होते हैं. वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 4764 करोड़ रूपए का आवंटन किया था, इसमें से 24 प्रतिशत (1120 करोड़ रूपए) खर्च ही नहीं किये गए. वर्ष 2017-18 में इन तबकों के लिए 5109 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया था, इसमें से 862 करोड़ रूपए खर्च ही नहीं किये गए. इस साल आदिवासी-दलित तबकों के लिए 5470 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. जो संकेत हैं, उनसे लगता है इसमें से बड़ी राशि छीन ली जायेगी.

सिंचाई, सूखा और बाढ़ प्रबंधन - सरकार ने वर्ष 2017-18 में सिंचाई, सूखा और बाढ़ प्रबंधन के लिए 10328 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था, पर पुनरीक्षित बजट में इसमें से 2642 करोड़ रूपए (26 प्रतिशत) वापस ले लिए गए. इस साल सिंचाई-सूखा-बाढ़ प्रबंधन के लिए पिछले साल की तुलना में 755 करोड़ रूपए कम (9573.1 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया.

स्कूली शिक्षा - यह समझ पाना मुश्किल है कि किन आधारों पर मध्यप्रदेश के बीमारू श्रेणी में से बाहर आ जाने के दावे किया जा रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान के लिए वर्ष 2017-18 में 3400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था, इस साल इसे घटाकर 3109.5 करोड़ रूपए कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 713.5 करोड़ रूपए का बजट शिक्षा विभाग से वापस ले लिए! दिक्कत यह है कि इन मुद्दों पर अब समाज-राजनीतिक समूह आंदोलन ही नहीं करते हैं. शिक्षा-स्वास्थ्य को बेकार के विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है.

मातृत्व हकों को भूली संवेदनशील सरकार - यह सर्व विदित है कि वर्ष 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में पहली बार बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को मातृत्व हक के रूप में 6000 रूपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का कानूनी प्रावधान किया गया था. वर्ष 2014 में बनी सरकार ने इस प्रावधान को लागू करने में कोई रूचि नहीं दिखाई. बहुत इंतज़ार के बाद नोटबंदी के उपरान्त प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम सन्देश में 31 दिसंबर 2016 कहा कि अब हम महिलाओं को मातृत्व हक देंगे. 14 माह गुज़र चुके हैं, उनका सन्देश मध्यप्रदेश की 17 लाख महिलाओं तक योजना के लाभ के रूप में नहीं पंहुच पाया. महिला एवं बाल विकास विभाग की वर्ष 2018-19 की बजट की किताब में लिखा है कि योजना क्रमांक 6917 (प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना) स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है; जब स्वास्थ्य विभाग की बजट की किताब में इस योजना को खोजा गया तो वह इसके लिए रूपए 1000 के आवंटन का उल्लेख है. इसका मतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 17

लाख महिलाओं को इस योजना से दूर रखने का निर्णय ले लियेया है, शायद राजनीतिक दल मानते हैं कि इससे चुनावी फायदा नहीं होगा. उल्लेखनीय है कि सभी महिलाओं को मातृत्व हक देने के लिए 1020 करोड़ रूपए की जरूरत है. यदि यह विचार के साथ किया गया है, तो यह एक अमानवीय कदम है. इस योजना पर कांग्रेस ने भी कभी आंदोलन नहीं किया.

आश्चर्यजनक है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण पर जब बजट में वृद्धि का दावा किया, तब उन्होंने पिछले वर्ष बजट आवंटन के बजाये पुनरीक्षित बजट अनुमानों को आधार बना, जो कि पिछले बजट आवंटन से बहुत कम थे.

क्षेत्र	2016-17 बजट अनुमान - करोड़ रू.	2016-17 वास्तविक - करोड़ रू.	अंतर - करोड़ रू.	प्रतिशत	2017-18 बजट अनुमान - करोड़ रूपए	2017-18 पुनरीक्षित अनुमान - करोड़ रूपए	अंतर - करोड़ रू.	प्रतिशत	2018-19 बजट अनुमान - करोड़ रूपए	अंतर (पूर्व वर्ष का अबजय अनुमान - करोड़ रू.)	प्रतिशत अंतर - बजट अनुमान - 2017 और 2018
स्वास्थ्य क्षेत्र	7153.14	5940.27	-1212.87	-16.96	7983.3	7437.0	-546.25	-6.84	8385.2	401.9	5.0
पोषण	1383.05	1374.4	-8.61	-0.62	1401.60	1346.9	-54.73	-3.90	1793.63	392.0	28.0
एससी एसटी	4764.0	3644.9	-1119.11	-23.49	5109.3	4247.5	-861.82	-16.87	5470.9	361.6	7.1
ग्रामीण विकास	11416.4	11987.0	570.56	5.00	10636.5	9895.3	-741.15	-6.97	11850.7	1214.2	11.4
सिंचाई, सूखा प्रबंधन	8292.5	9158.1	865.57	10.44	10328.4	7686.5	-2641.90	-25.58	9573.1	-755.3	-7.3
श्रमिक कल्याण	368.7	290.5	-78.20	-21.21	588.2	385.6	-202.63	-34.45	733.5	145.2	24.7

जिला बजट योजना - मध्यप्रदेश में 51 जिले हैं. जिनमें सामाजिक-आर्थिक मानकों पर बहुत असमानता है. बुंदेलखंड-बघेलखंड-महाकौशल के 20 जिलों के विकास की प्रक्रिया में हर संभव उपेक्षा की जाती है. सच तो यह है कि संवैधानिक मानकों के अनुरूप जिला योजना समिति का अस्तित्व महज़ राजनीतिक खानापूर्ति तक सीमित होकर रह गया है. जिला योजना और विकेन्द्रीकरण की अवधारणा तब तक साकार नहीं हो सकती है, जब तक कि हर पंचायत और विकासखंड के स्तर पर विकास की योजना न बने और उसका संयोजन जिला स्तर पर न हो. इसके लिए मध्यप्रदेश सर्कार से कई सालों से यह मांग की जा रही है कि वह जिलावार बजट बजट तैयार करने और बजट पुस्तिकाएं प्रकाशित करने की हिम्मत जुटाए ताकि किस जिले को कितना बजट मिल रहा है, इसके बारे में सबको पता चल सके और विकास की प्रभावी योजना बनायी जा सके. अभी तो एक व्यक्ति की घोषणा पर ही पूरे बजट की रूपरेखा तय होती है. कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह की योजना की घोषणा कर

दी जाती है. वास्तव में वित्तीय व्यवस्था जो जवाबदेय बनाने और समाज केंद्रित नियोजन के लिए जिलों को होने वाले आवंटन को बजट प्रक्रिया से जोडने की अनिवार्यता है; अन्यथा गैर जवाबदेहिता बनी रहेगी.

मध्यप्रदेश - विभागवार बजट

बजट आवंटन - बजट पुनरीक्षण और पुनरीक्षित बजट के आधार पर बजट आवंटन की राजनीति

क्र.										
	विभाग	बजट अनुमान 2016-17	बजट अनुमान 2016-17	आवंटन-पुनरीक्षण में अंतर 2016-17	बजट अनुमान 2017-18	बजट अनुमान 2017-18	आवंटन-पुनरीक्षण में अंतर 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	अंतर (पुनरीक्षण 2017-18 – आवंटन 2018-19)	अंतर (आवंटन 2017-18 – आवंटन 2018-19)
1	स्कूल शिक्षा	20939.54	18094	-2845.54	19873	17873	-2000	21724	3851	1851
2	ऊर्जा	19976.65	21183.38	1206.73	16802	18615	1814	17798	-817	996
3	ग्रामीण विकास	10732.35	13479.77	2747.42	14388	17907	3520	18165	258	3777
4	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	10669.43	9394.37	-1275.06	11489	11404	-85	11932	528	443
5	लोक निर्माण	7124.58	7295.92	171.34	8576	8008	-568	8780	772	204
6	जल संसाधन	6775.65	7499.24	723.59	8414	6298	-2116	7030	732	-1384
7	अनुसूचित जनजाति कल्याण	5898.99	1275.37	-4623.62	6046	5588	-458	1279	-4310	-4767
8	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5643.86	4886.55	-757.31	5673	4749	-924	5689	940	17
9	गृह	5623.36	5055.21	-568.15	6304	5981	-323	6897	916	593
10	पंचायत	4721.85	5075	353.15	5080	5433	353	5914	481	834
11	महिला एवं बाल विकास विभाग	3922.46	4046.01	123.55	4315	3986	-329	4836	850	521
12	राजस्व	3821.79	4858.94	1037.15	3785	3657	-128	3997	340	212
13	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	2949.82	4797.67	1847.85	4542	4961	419	9279	4318	4737
14	वाणिज्य कर	2634.49	1868.01	-766.48	2398	2141	-257	2744	603	346
15	लोक स्वस्थ्य यांत्रिकी	2599.47	2036.61	-562.86	3670	2062	-1608	2986	925	-684
16	वान्जिया, उद्योग एवं रोज़गार	2584.19	3794.23	1210.04	929	932	2	940	8	11

17	वन	2526.88	2282.09	-244.79	2704	2275	-430	2687	413	-17
18	उच्च शिक्षा	2509.26	1997.7	-511.56	2294	1891	-402	2245	354	-49
19	नर्मदा घाटी विकास	2095.31	2135.7	40.39	2726	2469	-257	3245	776	519
20	सामाजिक न्याय	1598.08	1741.81	143.73	1999	1888	-111	2092	204	94
21	अनुसोचित जाति कल्याण	1581.84	4784.31	3202.47	1633	1289	-344	1279	-10	-354
22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1330.26	1635.1	304.84	1612	1614	2	1635	22	24
23	सहकारिता	1100.24	2054.78	954.54	1676	1418	-258	1628	209	-48
24	विधि एवं विधायी कार्य	1003.52	812.12	-191.4	1227	88	-1139	1583	1494	356
25	पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक कल्याण	957.89	942.31	-15.58	984	748	-236	992	244	8
26	पशु पालन	938.54	893.89	-44.65	1002	842	-160	1039	197	37
27	जनशक्ति नियोजन	902.92	780	-122.92	1693		-1693	-	-	-1693
28	चिकित्सा शिक्षा	845.39	846.3	0.91	1367	1801	434	2017	215	649
29	यजना आर्थिक और साख्यिकी	749.66	850	100.34	846	724	-123	818	94	-29
30	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	742.94	613.17	-129.77	766	793	27	1158	365	392
31	सामान्य प्रशासन	502.71	417.54	-85.17	593	534	-60	649	115	56
32	आयुष	414.56	359.37	-55.19	432	383	-49	439	56	7
33	ग्रामोद्योग	359.7	282.42	-77.28	258	222	-36	242	21	-16
34	जेल	342.35	256.68	-85.67	297	300	2	337	37	39
35	पर्यटन	254.06	221.68	-32.38	256	248	-8	238	-10	-18
36	जनसंपर्क	245.12	369.11	123.99	300	324	24	412	88	112
37	खेल एवं युवक कल्याण	216.76	201.16	-15.6	224	185	-38	224	39	0
38	संस्कृति	197.18	222.98	25.8	219	200	-20	243	43	24
39	धार्मिक न्यास	189.87	158.83	-31.04	233	206	-27	248	42	15
40	नवीन एवं नव करणीय ऊर्जा	184	29.62	-154.38	159	154	-6	274	120	114
41	विज्ञान और प्रोद्योगिकी	178.29	232.15	53.86	235	203	-31	308	104	73
42	श्रम	169.41	148.94	-20.47	179	174	-4	321	147	142
43	लोक सेवा प्रबंधन	132.62	82.64	-49.98	99	84	-15	90	6	-9

44	परिवहन	132.44	98.19	-34.25	130	108	-22	106	-2	-24
45	भोपाल गैस त्रासदी	110.77	90.2	-20.57	113	103	-10	134	31	21
46	मछली पालन	82.83	81.4	-1.43	91	79	-12	92	13	1
47	संसदीय कार्य	81.3	67.5	-13.8	89	88	0	92	4	3
48	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध द्गुमक्कड़ जाति कल्याण	44.49	35.52	-8.97	50	39	-11	54	15	4
49	विमानन	22.27	23.25	0.98	35	42	7	36	-6	1
50	खनिज साधन	0	609.78	609.78	721	685	-36	751	66	30
51	सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग	0	0	0	776	933	157	852	-81	76